प्रेस नोट - जनपद बिजनौर **दिनांक- 08.06.2024**

लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 के निर्विघ्न, शांतिपूर्वक एवं सकुशल सम्पन्न होने पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया गया तथा उन्हे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

जनपद बिजनौर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 की मतदान व मतगणना प्रक्रिया के निर्विघ्न, सकुशल व शांतिपूर्वक सम्पन्न होने पर निर्वाचन ड्यूटी मे लगे जनपद के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है । जनपद बिजनौर मे कुल 2204 अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

प्रशस्ति पत्र वितरण विवरण जनपद बिजनौर।		
क्र0स0	**अधि0/कर्म0 पदनाम**	**प्रशस्ति पत्र संख्या**
1	अपर पुलिस अधीक्षक	3
2	पुलिस उपाधीक्षक	7
3	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	1
4	संयुक्त निदेशक अभियोजन व कार्यालय	2
5	जिला कमाण्डेंन्ट होमगार्ड्स व कार्यालय	3
6	थाना प्रभारी	25
7	निरीक्षक	30
8	महिला निरीक्षक	3
9	उपनिरीक्षक	182
10	महिला उपनिरीक्षक/उपनिरीक्षक(यू0टी0)	22
11	मुख्य आरक्षी	550
12	आरक्षी	1135
13	महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी	224
14	अनुचर	17
कुल योग		**2204**

OPPO Reno8 Pro 5G
RAM ARJ
P.P.S

OPPO Reno8 Pro 5G

WIRES & CABLES

बुजुर्ग
हैल्प डेस्क
OFFICE

बन्दीगृह

थाना नहटौर
जनपद बिजनौर
बिजनौर पुलिस

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद **दिनांक- 08.06.2024**

नजीबाबाद तहसील क्षेत्रान्तर्गत खनन के संबंध में किये गये ट्वीट विषयक।

अवगत कराना है तहसीलदार नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी तथा तहसलीदार नजीबाबाद बिजनौर से आख्या प्राप्त की गयी तो पाया कि मिट्टी खनन का कार्य ग्राम जटपुरा खास परगना व तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर के गाटा सं0 93 क्षे0 0.495 हे0 व गाटा सं0 96 क्षे0 0.418 हे0 में किया जा रहा हैं, जिसकी नियमानुसार अनुज्ञा कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर से दिनांक 25.05.2024 को 6371 घन मी0 मिटटी भरान हेतु निर्गत की गयी हैं, जिसकी अनुज्ञा अवधि दिनांक 25.05.2024 से दिनांक 23.06.2024 तक भरान हेतु प्रदान की गयी हैं। स्थल पर मिट्टी के उठान का कार्य जे०सी०बी० द्वारा नहीं किया जा रहा हैं तथा मिटटी खनन में लगी गाड़ियों को नियमानुसार फार्म एमएम-11 जारी किया जा रहा हैं, खनन वैध/नियमानुसार किया जा रहा हैं। अवैध खनन के सम्बन्ध में की गयी शिकायत असत्य / निराधार हैं।

1– जिलाधिकारी बिजनौर,
2– पुलिस अधीक्षक,
जनपद बिजनौर।

कृपया आप अपने पत्रांक सो0मी0सेल (जांच)/2024 दिनांक 08.06.24 का सन्दर्भ ग्रहण करने कृपा करें, जो सोशल मीडिया अकाउण्ट ट्वीटर पर मुस्तकीम अहमद द्वारा किये गये ट्वीट जिसमें ग्राम जटपुरा खास थाना मण्डावली जनपद बिनजौर में नियम कानून ताक पर रखकर मिटटी खनन करने एवं सोशल मीडिया अकाउण्ट ट्वीटर पर मोबिन हसन द्वारा किये गये ट्वीट जिसमें खनन को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक हैं।

उपर्युक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना हैं कि तहसीलदार नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी तथा तहसलीदार नजीबाबाद बिजनौर से आख्या प्राप्त की गयी तो पाया कि मिट्टी खनन का कार्य ग्राम जटपुरा खास परगना व तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर के गाटा सं0 93 क्षे0 0.495 हे0 व गाटा सं0 96 क्षे0 0.418 हे0 में किया जा रहा हैं, जिसकी नियमानुसार अनुज्ञा कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर से दिनांक 25.05.2024 को 6371 घन मी0 मिटटी भरान हेतु निर्गत की गयी हैं, जिसकी अनुज्ञा अवधि दिनांक 25.05.2024 से दिनांक 23.06.2024 तक भरान हेतु प्रदान की गयी हैं। स्थल पर मिट्टी के उठान का कार्य जे0सी0बी0 द्वारा नहीं किया जा रहा हैं तथा मिटटी खनन में लगी गाड़ियों को नियमानुसार फार्म एमएम–11 जारी किया जा रहा हैं, खनन वैध/नियमानुसार किया जा रहा हैं। अवैध खनन के सम्बन्ध में की गयी शिकायत असत्य/निराधार हैं

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित हैं।

दिनांक 08.06.2024

उपजिलाधिकारी,
नजीबाबाद।

08/6/24
क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद
जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक 08.06.2024**

दिनांक 08.06.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के सभी थानों पर की गयी जनसुनवाई में समस्त थानों पर प्राप्त कुल 49 प्रार्थना पत्रों में 16 प्रार्थना पत्रों का तत्काल निस्तारण किया गया।

कार्यवाही –

जनसुनवाई शासन की प्राथमिकता में शामिल है। आज दिनांक 08.06.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद बिजनौर के समस्त थानों पर जनसुनवाई की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक, नगर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर जनसुनवाई की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा थाना नूरपुर व थाना शिवालाकलां पर जनसुनवाई की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा थाना रेहड पर जनसुनवाई की गयी। समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल के थानो पर उपस्थित रहकर जनसुनवाई की गयी व समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थानो पर जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त कुल 49 प्रार्थना पत्रों में से 16 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 33 प्रार्थना पत्रों का अति शीघ्र निस्तारण एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों को निर्देशित किया गया है कि जनसुनवाई शासन की प्राथमिकता में शामिल है। अतः कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण जनसुनवाई में लापरवाही/शिथिलता न बरते।

क्र0 सं0	थाना	जनसुनवाई के दौरान प्राप्त कुल प्रार्थना पत्र	निस्तारित किये गये प्रार्थना पत्र	जनसुनवाई के पश्चात शेष प्रार्थना पत्र
1	कोतवाली शहर	4	1	3
2	हल्दौर	4	1	3
3	मंडावर	11	8	3
4	महिला थाना	0	0	0
5	नजीबाबाद	1	1	0
6	किरतपुर	2	1	1
7	मंडावली	0	0	0
8	नांगल	0	0	0
9	चांदपुर	6	0	6
10	नूरपुर	0	0	0
11	हीमपुर दीपा	2	0	2
12	शिवालाकलां	1	0	1
13	महिला थाना चांदपुर	0	0	0
14	नगीना	0	0	0
15	कोतवाली देहात	2	0	2
16	नगीना देहात	0	0	0
17	बढापुर	0	0	0
18	धामपुर	4	2	2
19	स्योहारा	4	1	3
20	नहटौर	4	0	4
21	अफजलगढ	3	1	2
22	शेरकोट	1	0	1
23	रेहड	0	0	0
कुल योग		**49**	**16**	**33**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 08.06.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये आभूषण सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.06.2024 को वादी श्री विकास पुत्र श्री दयाराम निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 27.05.2024 की रात्रि में अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र जगदीश 2.रणवीर पुत्र कुमर 3.बीना पत्नी रणवीर 4.राकेश पुत्र कुमर 5.अशोक पुत्र कुमर निवासीगण ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादी के घर से सोने–चाँदी के जेवर, 37000 /- रूपये की नगदी तथा एक एलईडी 32 इंच चोरी कर ली। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 281/2024 धारा 380 भादवि बनाम अमित आदि उपरोक्त कुल 05 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

दिनांक 07.06.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राकेश पुत्र कुमर 2.अमित पुत्र जगदीश निवासीगण ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी किये गये आभूषण व एलईडी टीवी सहित गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अशोक पुत्र कुमर निवासीगण ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से सफेद धातु के 02 दस्तबन्द बरामद किये गये। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अशोक पुत्र कुमर निवासीगण ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

02 दस्तबन्द (सफेद धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैंसला थाना नजीबाबाद बिजनौर

2-हे0कां0 403 अनिल कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक- 08.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 287/24 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त विमल गुर्जर पुत्र वीरेन्द्र गुर्जर निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ गलत काम किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 287/24 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम बनाम विमल गुर्जर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 287/24 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त विमल गुर्जर पुत्र वीरेन्द्र गुर्जर निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विमल गुर्जर पुर वीरेन्द्र गुर्जर निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री राजेश कुमार बैंसला प्रभारी निरीक्षक चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी 2304 अनिरुद्ध कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक- 08.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 251/24 धारा 323/325/308/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.05.2024 को वादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री दयाराम निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त राहुल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादी के भाई नरेश कुमार के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की गई, जिससे वह बेहोश हो गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 323/325/308/504/506 भादवि बनाम राहुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 251/24 धारा 323/325/308/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 हरवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी अनुज त्यागी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक- 08.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/24 धारा 376/120बी/386 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शादाब पुत्र अतीक अहमद निवासी ग्राम मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ गलत काम किया तथा अश्लील वीडियो बनाई गयी । शादाब व शादाब के दोस्त शारिक पुत्र बाबू निवासी पीरउमरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रुपयो की मांग की गई। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 210/24 धारा 376/120बी/386 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/24 धारा 376/120बी/386 भादवि व 67 आई0टी एक्ट में वांछित अभियुक्त अभियुक्त मौ0 शादाब पुत्र अतीक अहमद निवासी ग्राम मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर हाल निवासी बी-1083 द्वितीय तल बी ब्लाक जहांगीरपुरी नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 शादाब पुत्र अतीक अहमद निवासी ग्राम मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर हाल निवासी बी-1083 द्वितीय तल बी ब्लाक जहांगीरपुरी नई दिल्ली

बरामदगी का विवरण –

एक मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री राजेश कुमार बैंसला प्रभारी निरीक्षक चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- उ0नि0 कुलदीप शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी सचिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी अभिषेक कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर दिनांक 08.06.2024

थाना धामपुर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त पुखराज पुत्र हरस्वरूप निवासी कस्बा पुराना धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पुखराज पुत्र हरस्वरूप निवासी कस्बा पुराना धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्यामपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 08.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 0477/2024 धारा 323/504/366/354 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.06.2024 को अभियुक्त फुरकान पुत्र मुस्ताक निवासी मौ0 खस्सो थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ गाली – गलौच तथा मारपीट की तथा शकील पुत्र जमील निवासी काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर की मौजूदगी में पिस्टल दिखाकर जबरन निकाह कर लिया। अभियुक्त शकील द्वारा वादिनी के साथ छेडछाड़ भी की गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 477/24 धारा 323/504/366/354 भादवि बनाम फुरकान व शकील उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र मुस्ताक निवासी मौ0 मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फुरकान पुत्र मुस्ताक निवासी मौ0 मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

अभियुक्त फुरकान का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 936/2010 धारा 323/504/334/427 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 390/2020 धारा 147/323/504/506 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 197/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 477/2024 धारा 323/504/366/354 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 08.06.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 270/2024 धारा 307/147/323/504/506/324 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.06.2024 को वादी श्री गजराम पुत्र श्री कल्लू सिंह निवासी ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. सूरज पाल 2. गजेन्द्र पुत्रगण जागन 3. बिशन 4. सरवन पुत्रगण ओमप्रकाश 5. अंकित पुत्र सूरजपाल समस्त निवासीगण ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के भतीजे के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गयी व धारदार हथियार से वार कर जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 270/2024 धारा 307/147/323/504/506/324 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध नियंत्रण एंव अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बिशन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अमिनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बिशन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अमिनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 568 अंशल अहलावत थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. का0 1374 पवनदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 08.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.06.2024 को वादिनी श्रीमती अर्चना कुशवाहा पत्नी श्री पंकज कुमार निवासी ज्ञान विहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.05.2024 को समय करीब 05.30 बजे वादिनी के पति पंकज कुमार (उम्र करीब 42 वर्ष) घर से बिना बताये कही चले गये है। इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गयी।

आज दिनांक 08.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गुमशुदा पंकज कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी मौ0 ज्ञान विहार कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गुमशुदा का नाम व पता –

पंकज कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी मौ0 ज्ञान विहार कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री श्यामपाल सिंह, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1641 कृतपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 08.06.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त रामेश पुत्र जालम सिंह निवासी ग्राम कुम्हारपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रामेश पुत्र जालम सिंह निवासी ग्राम कुम्हारपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 386 सोहित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ   दिनांक 08.06.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त शुभम चौहान पुत्र सुशील चौहान निवासी ग्राम भज्जावाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शुभम चौहान पुत्र सुशील चौहान निवासी ग्राम भज्जावाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 नरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 140 प्रदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक- 08.06.2024**

थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत महिला द्वारा अपने ससुरालीजनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में।

अवगत कराना है कि महिला नसरीन उर्फ निशा पत्नी वसीम निवासी मौहल्ला मुफ्तीसराय बास्टा रोड़ कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर की रहने वाली है। आवेदिका नसरीन उर्फ निशा उपरोक्त व उसके पति के बीच लगभग 07 वर्ष पूर्व विवाद हो गया था जिसके संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 1025/2016 धारा 147/452/323/504/506 भादवि बनाम 1. वसीम पुत्र जमील निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चाँदुपर जनपद बिजनौर 2. फरजाना निवासी चाँदपुर 3. निगार उर्फ सोनी 4. दानिश पुत्र सलीम 4. शमा परवीन पत्नी सलीम निवासीगण मौहल्ला धोबीघाट प्रतापबाग दिल्ली के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 01.02.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। आवेदिका लगभग 07 वर्ष पूर्व अपनी पुत्रियो को लेकर दिल्ली चली गयी थी तथा लगभग 1.5-02 माह पूर्व चाँदपुर में आयी और अपनी सास अनवरी व जेठानी जाहिदा पत्नी सलीम के मकान में जबरदस्ती रहने लगी। आवेदिका द्वारा अपनी सास अनवरी व जाहिदा उपरोक्त को घर से निकाल दिया था तथा आवेदिका नसरीन उर्फ निशा उपरोक्त का एक पुत्र मोनिस जो दादी अनवरी के पास रहता है। आवेदिका उपरोक्त उस मकान पर कब्जा कर अकेली रहना चाहती है। आवेदिका अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग घटना दर्शाकर प्रार्थना देती रहती है।

आवेदिका नसरीन उपरोक्त फर्स पर पानी पड़ा होने कारण फिसलकर गिर गयी थी, जिससे आवेदिका नसरीन उर्फ निशा के हाथ में चोट लग गयी थी। आवेदिका अपने ससुराल वालो के विरूद्ध पुलिस पर दबाब बनाकर झूठा मुकदमा लिखाना चाहती है। दोनो पक्षो की शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 10.05.2024 को अन्तर्गत धारा 107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 08.06.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने लूट/चोरी की 05 घटनाओं का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को चोरी/छीने गये 03 मोबाइल फोन, नगदी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.04.2024 को वादी श्री यतेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम शर्मा निवासी मानसरोवर कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 03.04.2024 को सांय के समय वादी अपनी इन्वर्टर / बैट्री की दुकान बंद करके 50,000 /- रुपये की नकदी लेकर मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। इसी दौरान वैदिक नगर एवं मानसरोवर के बीच खडे चार अज्ञात लोगों ने वादी को धक्का देकर नगदी छीनकर अपनी मोटरसाइकिलों से भाग गये। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 285/24 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.06.2024 को वादिनी श्रीमती अनीता पत्नी भीष्मपाल निवासी ग्राम फीना शिवालाकला जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि खालसा इंटर कॉलेज के पास एक बाईक पर सवार तीन अज्ञात लडकें वादिनी का पर्स छीनकर ले गये, जिसमें वादिनी की एक सोने की चैन व 2,000 /- रूपये थे। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 234/2024 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 07.06.2024 को वादिनी श्रीमती नीशू निर्वाल पत्नी राहुल निर्वाल निवासी ग्राम छज्जुपुरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.06.2024 को अज्ञात चोर वादिनी का बैग जिसमें एक एन्ड्रॉयड मोबाइल, आधार कार्ड, 5500 /- रूपये व एटीएम कार्ड रखा था को चोरी कर ले गये। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 235/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 08.06.2024 को वादी श्री दिलशाद अहमद पुत्र श्री याकूब निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर नन्हेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.06.2024 को वादी अपनी पत्नी के साथ नहटौर से नन्हेडा जा रहा था, जैसे ही वह लघुशंका के लिये रास्ते में रुका तो अज्ञात चोर वादी की पत्नी का पर्स जिसमें 500 /- रुपये तथा एक ओप्पो कम्पनी का मोबाइल था को चोरी कर ले गये है। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 222/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 08.06.2024 को वादिनी आरती पत्नी अंकित कुमार निवासी ग्राम मोहनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.06.2024 को वादिनी अपने पति के साथ बाइक पर अपने मायके नन्हेडा जा रही थी तो रास्ते में बाइक रोककर बच्चों को शौच कराने लगी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक वादिनी का पर्स जिसमें सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं 3500 /- रुपये की नगदी थी को चुराकर भाग गये। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में 03 अभियुक्तगण 1.प्रद्युम्न पुत्र टीकम सिंह 2.अंकित पुत्र हेमराज सिंह 3.शेखर पुत्र दलवीर सिंह समस्त निवासीगण बालापुर अखेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण 1.प्रद्युम्न पुत्र टीकम सिंह 2.अंकित पुत्र हेमराज सिंह 3.शेखर पुत्र दलवीर सिंह समस्त निवासीगण बालापुर अखेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/छीने गये 03 मोबाइल फोन, 12,000 रुपये की नगदी एवं घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाईकिल (रंग काला सफेद रजि0 नं0 (UK17B8560) बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनो मिलकर महिलाओं के पर्स व रुपये आदि लूटकर व चोरी करके भाग जाते है। करीब दो माह पहले हमने बिजनौर शहर में मानसरोवर कालोनी के पास से एक व्यक्ति से 50,000/- रूपये लूटे थे, जिसमें से हम तीनों के हिस्से में 16500/- आये थे। बरामद नगदी में से 10,000 /- रुपये उसी लूट की है। हमने दिनांक 07.06.2024 की सुबह एक महिला का पर्स कुण्डा खुर्द के पास से चुराया था उसमें सफेद रंग का OPPO कम्पनी का मोबाईल और एक हजार रूपये मिले थे। दिनांक 06.06.2024 को खालसा इन्टर कॉलेज नूरपुर के पास एक महिला का पर्स लूटा था उसमें दो हजार रुपये मिले थे इसके अलावा एक कीपैड मोबाईल मिला था। बरामद 02 अन्य मोबाईलो के बारे में बताया कि ये दोनो मोबाईल हमने थाना नहटौर क्षेत्र से चोरी किये है। हम तीनो मिलकर ऐसी ही घटनाओ को अंजाम देते है तथा पर्स/बैग आदि में जो रूपये व कीमती वस्तुएं मिलती है उन्हें आपस में बांट लेते है। कीपैड मोबाइल और खाली पर्स हमने चलते हुए नहर में फेंक दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.प्रद्युम्न पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम बालापुर अखेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.अंकित पुत्र हेमराज सिंह निवासी ग्राम बालापुर अखेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.शेखर पुत्र दलवीर सिंह निवासी ग्राम बालापुर अखेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1. एक मोबाईल ओप्पो कम्पनी (रंग काला)
2. एक मोबाईल ओप्पो कम्पनी (रंग सफेद)
3. एक मोबाइल सैमसंग (रंग काला)
4. ₹ 12,000 /- की नगदी
5. एक मोटरसाइकिल पल्सर रजिस्ट्रेशन नंबर UK17B8560 (रंग काला)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 285/24 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 234/2024 धारा 392 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 235/2024 धारा 379 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 222/24 धारा 379 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 223/24 धारा 379 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार गंगवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. व0उ0नि0 श्री उमेशचन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 मुहम्मद यासीन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 अनिल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. हे0कां0 138 सचिन मलिक थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. कां0 1264 सविन्द्र नागर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7. कां0 546 सचिन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
8. कां0 1649 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
9. कां0 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
10. कां0 11 गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
11. कां0 2562 सिद्धान्त थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
12. कां0 2049 बोबी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
13. कां0 2027 विपुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
14. कां0 2419 विकास कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक 08.06.2024**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 280/24 धारा 363/376-एबी, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.06.2024 को वादी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र सत्ते निवासी ग्राम शेखपुर लाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की धेवती के साथ गलत काम किया गया । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 280/24 धारा 363/376-एबी भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम विजेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 280/24 धारा 363/376-एबी भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र सत्ते निवासी निवासी ग्राम शेखपुर लाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विजेन्द्र पुत्र सत्ते निवासी ग्राम शेखपुर लाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 वसीम अकरम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3- मुख्य आरक्षी मौ0 अकरम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

5- आरक्षी नीरज कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।